रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277331
CG-DL-E-22102026-277331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948
No. 321] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2026

सं. 35/2026-27

विषय: प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के अंतर्गत धातु अपशिष्ट और स्क्रैप के आयात के लिए पीएसआइसी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/38/पीएसआइए/एएम-26/पीसी-2(ए)/ई-47154.–समय-समय पर यथासंशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी), 2023 के पैरा 2.51 (घ) (v) (iv) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा सं	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रवधान
पैरा 2.51 (घ) (v) (iv)	धातु अपशिष्ट और स्क्रैप की आयात खेप मूल देश से पोतलदान पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआइसी) के अधीन होगी। हालांकि, सुरक्षित	धातु अपशिष्ट और स्क्रैप की आयात खेप मूल देश से पोतलदान पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआइसी) के अधीन होगी। बशर्ते कि निर्दिष्ट सुरक्षित देशों/क्षेत्रों नामतः

	देशों/क्षेत्र अर्थात् यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से निर्यात किए जाने वाले धातु अपशिष्ट और स्क्रैप (कटे हुए और बिना कटे हुए, दोनो) के लिए पीएसआइसी की आवश्यकता नहीं होगी यदि खेप आठ (8) बंदरगाहों नामतः चेन्नई, तूतीकोरिन, कांडला, जेएनपीटी, मुम्बई कृष्णापट्टनतम, मुंद्रा और कट्टुपल्ली, के माध्यम से मंजूरी दे दी जाती है। इन छह देशों/क्षेत्रों के खेपों को आपूर्तिकर्ता/स्कैप यार्ड प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र दिया जाएगा कि इनमें कोई रेडियोधर्मी सामग्री/विस्फोटक नहीं है। हालांकि ये इन बदरगाहों पर पोर्टल मॉनीटर और कंटेनर स्कैनर के माध्यम से विकिरण और विस्फोटक जांच के अधीन होगें। इन देशों/क्षेत्रों के माध्यम से ट्रांस-शिपमेंट को इस सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। शेष आठ (8) अन्य बदंरगाहों (कटे हुए और बिना कटे हुए स्क्रैप/अपशिष्ट दोनो के लिए) के माध्यम से आयात, मूल देश के निरपेक्ष, पीएसआइसी के अधीन होगा।	यूएसए, यूके, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ से आयातित धातु अपशिष्ट और स्क्रैप (कटे हुए और बिना कटे हुए, दोनो) को पीएसआइसी की आवश्यकता से निम्नलिखित शर्तें पूरी किए जाने के अधीन छूट दी जाएगी: (क) इस खेप के साथ आपूर्तिकर्ता या स्क्रैप यार्ड प्राधिकारी द्वारा इन आशय का प्रमाणपत्र दिया जाएगा कि इसमें कोई रेडियोधर्मी सामग्री/विस्फोटक नहीं है; (ख) खेप निम्नलिखित बंदरगाहों नामतः चेन्नई, तूतीकोरिन, कांडला, जेएनपीटी, मुंबई, कृष्णापट्टनतम, मुंद्रा, कट्टुपल्ली, हजीरा, कामराजार, और अदानी गंगावरम में से किसी से भी प्रवेश करती है, जो कि इन बंदरगाहों पर पोर्टल मॉनिटर और कंटेनर स्कैनर्स के माध्यम से विकिरण और विस्फोटक की अनिवार्य जांच के अधीन होगा; और (ग) इन देशों/क्षेत्रों के माध्यम से होने वाले ट्रांस-शिपमेंट को पीएसआइसी से छूट नहीं दी जाएगी। यहाँ उल्लिखित पीएसआइसी से छूट, निर्दिष्ट समुद्री प्रवेश बंदरगाह या इनलैंड कंटेनर डिपो (आइसीडी) पर घरेलू खपत के लिए सीमा शुल्क निकासी के मामले में लागू होगी, बशर्ते कि प्रवेश बंदरगाह पर ऊपर (क) से (ग) तक के खंडों में बताई गई सभी शर्तें पूरी की गई हों, और, यदि निकासी आइसीडी पर हो रही है, तो वहां इन शर्तों के पूरे होने का प्रमाण भी देना होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: सुरक्षित देशों/क्षेत्रों से आयातित धातु अपशिष्ट और स्क्रैप के लिए पीएसआइसी छूट के दायरे को और अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के साथ निर्धारित शर्तों के अधीन इनलैंड कंटेनर डिपो (आइसीडी) के माध्यम से क्लियर की गई पात्र खेपों पर इस छूट का लागू करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 2.51(घ)(v)(iv) में संशोधन किया गया है।

लव अग्रवालए महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st October, 2026

No. 35 /2026-27

Subject: Amendment to the provisions relating to PSIC requirements for import of metallic waste and scrap under the Handbook of Procedures, 2023 – reg.

F. No. 01/89/180/38/PSIA/AM-26/PC-2(A)/E-47154.—In exercise of the powers conferred under paragraphs 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment to paragraph 2.51 (d) (v) (iv) of the Handbook of Procedures (HBP), 2023:

Para No.	**Existing Provision**	**Amended Provision**
Para 2.51(d) (v) (iv)	Import consignments of metallic waste and scrap shall be subject to pre-shipment inspection certificate (PSIC) from the country of origin. However, metallic waste and scrap (both shredded and unshredded) imported from safe countries/region i.e., the USA, the UK, Canada, New Zealand, Australia and the EU will not require PSIC if consignments are cleared through eight (8) ports namely, Chennai, Tuticorin, Kandla, JNPT, Mumbai, Krishnapatnam, Mundra and Kattupalli. Consignments from these six countries/regions will be accompanied by certificate from the supplier/scrap yard authority to the effect that it does not contain any radioactive materials/explosives. These will, however, be subject to radiation and explosive checks through portal monitors and container scanner at these ports. Trans-shipments through these countries/regions will not be allowed this facility. Import through remaining eight (8) other ports (for both shredded and unshredded scrap/waste), irrespective of country of origin, will be subject to PSIC.	Import consignments of metallic waste and scrap shall be subject to a Pre-Shipment Inspection Certificate (PSIC) from the country of origin. Provided that import of metallic waste and scrap (both shredded and unshredded) imported from designated safe countries/regions, namely the USA, UK, Canada, New Zealand, Australia, and the EU, shall be exempt from requiring a PSIC, subject to the fulfillment of the following conditions: (a) The consignment is accompanied by a certificate from the supplier or scrap yard authority certifying that it does not contain any radioactive materials or explosives; (b) The consignment enters through any of the following sea ports, namely Chennai, Tuticorin, Kandla, JNPT, Mumbai, Krishnapatnam, Mundra, Kattupalli, Hazira, Kamarajar, and Adani Gangavaram, subject to mandatory radiation and explosive checks through portal monitors and container scanners at these ports; and (c) Trans-shipments through these countries/regions will not be allowed exemption from PSIC. The exemption from PSIC specified herein shall apply for Customs clearance for home consumption at the designated entry sea port or at an Inland Container Depot (ICD), provided

		that all conditions specified under clauses (a) to (c) above are satisfied at the port of entry and, in case of clearance at an ICD, proof of the same is provided at the ICD."

Effect of this Public Notice: Para 2.51(d)(v)(iv) of the Handbook of Procedures, 2023 is amended to set out in more precise terms the scope of the PSIC exemption for metallic waste and scrap imported from Safe Countries/Regions, including its applicability to eligible consignments cleared through an Inland Container Depot, subject to the conditions specified.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Additional Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.22 15:51:29 +05'30'